ऑन लाईन नं. RCMS 2023/133

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 33/2023

1. उमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री आदराम जाति जाट निवासी गांव पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 08, चक 9 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्रांम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आवंटन आदेश बुक संख्या 02 व पट्टा संख्या 80 दिनांक 22.02.2022 को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता सख्या 01
3. श्री अनित जोशी अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02

:: आदेश :: दिनांक: 15.04.2025

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा आवासीय भूमि का बुक संख्या 02 पट्टा संख्या 80 दिनांक 22.02.2022 को विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप के नाम से नियम विरूद्व एवं आवंटन नियम के विपरीत आवंटित किया गया है। प्रमाणित प्रति आवासीय भूमि पट्टा सलंग्न है।
2. यह कि गैरनिरागनीकर्ता संख्या 1 गांव पन्नीवाली जाटान का स्थाई निवासी नही है व ना ही कभी पंचायत क्षेत्र में निवास किया गया है। निगरानीकर्ता संख्या 1 चक 9 एसपीएम का स्थाई निवासी है तथा अपने परिवार के साथ सदैव ही चक 9 एसपीएम में निवास किया है। गैरनिगरानीकर्ता–1 स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के आश्य से गलत तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचातय पन्नीवाली जाटान का स्थाई निवासी बताकर आवंटन नियमों के विपरीत अपने

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

नाम आवासीय भूमि का पट्टा जारी करवा लिया गया। राशन कार्ड व आधार कार्ड की प्रतियां संलग्न है।

3. यह कि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आवंटन/नियमन नियमों व प्रावधानों के विपरीत जाकर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना विधिक प्रकिया अपनाए आवासीय भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया, जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

4. यह कि ग्रांम पंचायत द्वारा आवंटित किए जाने वाले भूखण्ड के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना प्रेषित किए बिना ही पट्टा जारी कर दिया गया। नियमन नियमों के मुताबिक भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत होने पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जानी आवश्यक है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सत्यता की जांच तथा कब्जा के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवायी जानी चाहिए थी , परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा विधिक नियमों की अनदेखी कर आवंटन/नियमन नियमों के विरूद्व जाकर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 को आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया गया है।

5. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 के गांव पन्नवाली जाटान के निवासी होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई और ना ही मौका के भूखण्ड पर कब्जा के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई है। आवंटन नियमों के मुताबिक ग्रांम पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत के खाली भूखण्डों को केवल ग्राम पंचायत के स्थाई निवासी को ही आवंटन किया जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा जो गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है वह विधि–विरूद्व एवं आवंटन नियमों के विरूद्व होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

6. यह कि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान का स्थाई निवासी है व स्वयं के निवास एवं अन्य कार्यो के लिए आवासीय भूखण्ड की आवश्यकता होने तथा ग्रांम पंचायत द्वारा खाली आवासीय भूखण्डों की सूचना सार्वजनिक किए बिना व मौका की जांच किए बिना गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना विधिक प्रकिया अपनाए पट्टा जारी किए जाने से व्यथित पक्षकार है। गांव के अन्य जरूरतमंद व बिना आवास के जो स्थाई निवासी है,उनके भी अधिकारों का उपरोक्त पट्टा जारी करने से हनन हुआ है। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे की जानकारी आज से 10 रोज पूर्व ग्राम पंचायत से खाली आवासीय भूखण्डों की जानकारी चाहने व नवीन आवंटित भूखण्डो का रिकॉर्ड देखने पर हुई है इसलिए जानकारी से वर्तमान निगरानी अन्दर मियाद है। विधि–विरूद्व जाकर पारित किए गए आदेश को सक्षम न्यायालय में कभी भी चुनौती दी जा सकती है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.02.2022 को जारी आवासीय भूमि पट्टा संख्या 80 बुक संख्या 02 को निरस्त किया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया।

ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान को जारी नोटिस के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा अपना जवाब दिनांक 20.05.2024 को प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत ने अपने जवाब में कथन किया कि विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 9 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा अपने आप को ग्राम पंचातय पन्नीवाली जाटान के अहाता संख्या 8 का भाग पैमाईशी 61X51 का पट्टा बनाए जाने हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। विनोद कुमार द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पश्चात ग्राम पंचायत की मासिक बैठक दिनांक 08.02.2022 को पंचायत को प्राप्त समस्त आवेदन पत्र का अवलोकन कर प्रस्ताव संख्या 5 के तहत विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप को बुक संख्या 02 का पट्टा संख्या 80 दिनांक 22.02.2022 को जारी किया गया।

यह कि ग्राम पंचायत के भूखण्ड संख्या 8 का भाग पैमाईशी 61X51 के सम्बन्ध में आवेदन करने के समय विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप द्वारा स्वयं को ग्राम पन्नीवाली जाटान का स्थायी निवासी होने का कथन किया गया था तथा उक्त प्लॉट पर अपना कब्जा दर्शाया गया था। यह कि दौराने आवेदन विनोद कुमार द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विनोद कुमार द्वारा ग्राम पंचायत को आश्वस्त किया था कि वह समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा तथा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था की किसी तथ्य के गलत एवं असत्य पाये जाने पर पट्टा निरस्त किया जावें।

ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पत्र व शपथ पत्र के आधार पर विनोद कुमार के पक्ष में अहाता संख्या 8 का भाग पैमाईशी 61X51 व का पट्टा अन्तर्गत नियम 157(1) पंचायती राज अधिनियम दिनांक 22.02.2022 को जारी कर दिया गया परन्तु विनोद कुमार द्वारा पट्टा जारी होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान के स्थायी निवासी होने व उक्त भूखण्ड पर पूर्व में कब्जा होने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत द्वारा अनेकों बार स्थाई निवासी होने व भूखण्ड पर कब्जा होने के सम्बन्ध में दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार के दस्तावेज आवेदन पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। विनाद कुमार के आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने आपको ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान का स्थायी निवासी होने का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

मिथ्या कथन कर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा ग्राम पंचातय को गुमराह कर अपने हक में पट्टा जारी करवा लिया गया। इसलिए उपरोक्त तथ्यानुसार मिथ्या कथन व गलत तथ्य प्रस्तुत कर जारी करवाए गए पट्टा संख्या 80 को विधिनुसार निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता उमेश कुमार ने यह निगरानी मात्र गैरनिगरानीकर्ता उग्रसैन को परेशान करने के उद्देश्य से पेश की है, इसलिए उमेंश कुमार के द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

गैरनिगरानीकर्ता उग्रसैन को ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान के द्वारा विधिनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर आवंटन आदेश, बुक संख्या 02 पट्टा संख्या 80 दिनांक 22.02.2022 को सही जारी किया है। निगरानीकर्ता का इस आवंटन से कोई सम्बन्ध नहीं है। ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 विनोद कुमार के प्लॉट से निगरानीकर्ता का कोई हित भी जुड़ा हुआ नहीं है एवं न ही निगरानीकर्ता को कोई नुकशन हुआ है। मात्र गांव की राजनीति करने व गैरनिगरानीकर्ता विनोद कुमार को परेशान करने की नियत से निगरानीकर्ता उमेश कुमार ने यह निगरानी पेश की है। अतः श्रीमान जी विनम्र निवेदन है कि निगरानीकर्ता उमेश कुमार के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण खारिज करने की कृपा करें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 ने अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत पंन्नीवाली जाटान को जारी नोटिस के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा अपना जवाब दिनांक 20.05.2024 को प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत ने अपने जवाब में कथन किया कि विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 9 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा अपने आप को ग्राम पंचातय पन्नीवाली जाटान के अहाता संख्या 8 का भाग पैमाईशी 61X51 का पट्टा बनाए जाने हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। विनोद कुमार द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पश्चात ग्राम पंचायत मासिक बैठक दिनांक 08.02.2022 को पंचायत को प्राप्त समस्त आवेदन पत्र का अवलोकन कर प्रस्ताव संख्या 5 के तहत विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप को बुक संख्या 02 का पट्टा संख्या 80 दिनांक 22.02.2022 को जारी किया गया। यह कि ग्राम पंचायत के भूखण्ड संख्या 8 का भाग पैमाईशी 61X51 के सम्बन्ध में आवेदन करने के समय विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप द्वारा स्वयं को ग्राम पन्नीवाली जाटान का स्थायी निवासी होने का कथन किया गया था तथा उक्त प्लॉट पर अपना कब्जा दर्शाया गया था। यह कि दौराने आवेदन विनोद कुमार द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

किए गए थे। विनोद कुमार द्वारा ग्राम पंचायत को आश्वस्त किया था कि वह समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा तथा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था कि किसी तथ्य के गलत एवं असत्य पाये जाने पर पट्टा निरस्त किया जावें। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पत्र व शपथ पत्र के आधार पर विनोद कुमार के पक्ष में अहाता संख्या 8 का भाग पैमाईशी 61X51 का पट्टा अन्तर्गत नियम 157(1) पंचायती राज अधिनियम दिनांक 22.02.2022 को जारी कर दिया गया परन्तु विनोद कुमार द्वारा पट्टा जारी होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान के स्थायी निवासी होने व उक्त भूखण्ड पर पूर्व में कब्जा होने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत द्वारा अनेकों बार स्थाई निवासी होने व भूखण्ड पर कब्जा होने के सम्बन्ध में दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार के दस्तावेज आवेदन पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। विनोद कुमार के आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने आपको ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान का स्थायी निवासी होने का मिथ्या कथन कर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा ग्राम पंचातय को गुमराह कर अपने हक में पट्टा जारी करवा लिया गया। इसलिए उपरोक्त तथ्यानुसार मिथ्या कथन व गलत तथ्य प्रस्तुत कर जारी करवाए गए पट्टा संख्या 80 को विधिनुसार निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि गैरनिरागनीकर्ता संख्या 1 गांव पन्नीवाली जाटान का स्थाई निवासी नहीं है व ना ही कभी पंचायत क्षेत्र में कभी निवास है। निगरानीकर्ता संख्या 1 चक 9 एसपीएम का स्थाई निवासी है तथा अपने परिवार के साथ सदैव ही चक 9 एसपीएम में निवास कर रहा है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 द्वारा स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के आश्य से गलत तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचातय पन्नीवाली जाटान का स्थाई निवासी बताकर आवंटन नियमों के विपरीत अपने नाम आवासीय भूमि का पट्टा जारी करवा लिया गया। ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आवंटन/नियमन नियमों व प्रावधानों के विपरीत जाकर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए आवासीय भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया, जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। ग्रांम पंचायत द्वारा आवंटित किए जाने वाले भूखण्ड के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना प्रेषित किए बिना ही पट्टा जारी कर दिया गया। नियमन नियमों के मुताबिक भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत होने पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जानी आवश्यक है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सत्यता की जांच तथा कब्जा के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवायी जानी चाहिए थी ,परन्तु ग्राम पंचायत

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

द्वारा विधिक नियमों की अनदेखी कर आवंटन/नियमन नियमों के विरूद्व जाकर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 को आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 के गांव पन्नवाली जाटान के निवासी होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई एवं ना ही मौका के भूखण्ड पर कब्जा के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई है। आवंटन नियमों के मुताबिक ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत के खाली भूखण्डों को केवल ग्राम पंचायत के स्थाई निवासी को ही आवंटन किया जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा जो गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है वह विधि –विरूद्व एवं आवंटन नियमों के विरूद्व होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के नाम जारी बुक संख्या 02, पट्टा संख्या 80 दिनांक 22.02.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा अपने जवाब में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 9 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा अपने आप को ग्राम पंचातय पन्नीवाली जाटान के अहाता संख्या 8 का भाग पैमाईशी 61X51 का पट्टा बनाए जाने हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप ने स्वयं को ग्राम पन्नीवाली जाटान का स्थायी निवासी होना एवं उक्त प्लॉट पर अपना कब्जा होना आवेदन पत्र मय शपथ पत्र में अंकित किया। विनोद कुमार द्वारा ग्राम पंचायत को आश्वस्त किया था कि वह समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा। गैरनिगरानीकर्ता संख्या –1 विनोद कुमार ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया था किसी भी तथ्य के गलत एवं असत्य पाये जाने पर पट्टा निरस्त किया जावें। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पत्र व शपथ पत्र के आधार पर विनोद कुमार के पक्ष में अहाता संख्या 8 का भाग पैमाईशी 61X51 का पट्टा अन्तर्गत नियम 157(1) पंचायती राज अधिनियम दिनांक 22.02.2022 को जारी कर दिया गया परन्तु विनोद कुमार द्वारा पट्टा जारी होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान के स्थायी निवासी होने व उक्त भूखण्ड पर पूर्व में कब्जा होने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये ।

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आवंटन/नियमन नियमों व प्रावधानों के विपरीत जाकर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध पट्टा पत्रावली में गैरनिगरानीकर्ता संख्या –1 द्वारा जो

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आवेदन किया गया वह किसे आवेदन किया गया व कौनसी पंचायत के लिए किया गया। किसी प्रकार का कोई अंकन नही है। मौका नक्शा एवं वार्ड पंच रिपोर्ट में किसी वार्ड पंच व सरपंच के हस्ताक्षर नही है। प्रस्तुत शपथ पत्र में किसी भी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। भूखण्ड की रंगीन फोटो प्रस्तुत नहीं है। कार्यालय आदेश गठित कमेटी हेतू जारी कार्यालय आदेश किसके द्वारा जारी किया गया कोई पदनाम व हस्ताक्षर व किस तारीख को जारी किया गया अंकित नहीं है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट नियम 146 पूर्ण रूप से रिक्त है। एवं अन्य जो भी प्रकिया अपनाई जानी थी वह पूर्ण रूप से किसके द्वारा की जानी चाहिए अंकित नहीं है। यह एक साईकलो स्टाईल प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। किसी प्रकार की कोई प्रकिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आवंटन/नियमन नियमों व प्रावधानों के तहत नहीं की गई है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जो रेकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया है , उसके अनुसार गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिवत् प्रकिया अपनाकर पट्टा जारी किया जाना नहीं पाया जाता है। निगरानी के साथ प्रस्तुत पट्टा बिना विधिक प्रकिया अपनाए एवं बिना राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों की पालना किए अवैध रूप से जारी किया जाना पाया जाता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या –1 ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा संकल्प संख्या 5 दिनांक 08.02.2022 की पालना में दिनांक 22.02.2022 को जारी निगरानीधीन पट्टा संख्या 80 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्री गंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)